संख्या:883/2023/2847/35-4-2023/ 35-4099/227/2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर, 2023

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कतिपय कार्य का निरस्तीकरण के सम्बंध।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद लखनऊ में शासनादेश सं0- 571/2023/1269/35-4-2023, दिनांक 30 मार्च, 2023 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 04 कार्यों की रू0 297.06 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी लखनऊ के पत्र सं0-865/त्व0आ0वि0यो0/2022-23 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत 04 कार्यों में से 01 कार्य यथा-**कैम्ब्रिज स्कूल से श्री पी0 चितकारा (एडवोकेट) होते हुए कृष्णा नगर पारा मुख्य मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कार्य, लम्बाई-0.630 किमी0, (लागत रू0 84.96 लाख)** का डामरीकरण अन्य संस्था द्वारा कराया जाना सूचित किए जाने के दृष्टिगत उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0-571/2023/1269/35-4-2023, दिनांक 30 मार्च, 2023 के द्वारा स्वीकृत 04 कार्यों में से उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि नियमानुसार राजकोष के सुसंगत खाते में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति सहित सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:883/2023/2847(1)/35-4-2023/35-4099/227/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट टांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in